न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 43/2011

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. गणपतसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत
निवासी-सिणला, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 28.02.2011

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/07/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-सिणला, तहसील-जैतारण में ख.नं. 599/1 रकबा 15-00 किस्म बा0दो0 की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य लाईम स्टोन का अवैध रुप से किया जा रहा है। दिनांक 15/02/2011 को खनिज फोरमैन व पटवारी-डिगरना द्वारा संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) खसरा नं. 599/1 में अवैध रुप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 30X10X4 मीटर, 15X4X3 मीटर, 8X4X3 मीटर एंव 15X8X3 मीटर तक मिट्टी हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वितिय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध रुप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लघन किया गया एवं असुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील प्रति0 को दिनांक 30/05/2011 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा का अवसर समाप्त किया जाकर जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने मौजा–सिणला, तहसील–जैतारण के खसरा नं. 599/1 रकबा 30X10X4 मीटर, 15X4X3 मीटर, 8X4X3 मीटर एंव 15X8X3 मीटर किस्म बा0दो0 में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि मौजा–सिणला, तहसील–जैतारण के खसरा नं. 599/1 रकबा 30X10X4 मीटर, 15X4X3 मीटर, 8X4X3 मीटर एंव 15X8X3 मीटर किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–ढिंगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली (राज0)

1. गणपतसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत
निवासी–सिणला, तहसील–जैतारण
जिला–पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 43/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि मौजा–सिणला, तहसील–जैतारण के खसरा नं. 599/1 रकबा 30X10X4 मीटर, 15X4X3 मीटर, 8X4X3 मीटर एंव 15X8X3 मीटर किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner